बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

संचिका संख्या– BRRDA(H8)-MMGSY(NDL) -66/2016

ज्ञापांकः 07 ग्रा०वि० यो०वि०, पटना, दिनांक 03/05/ 2017

प्रतिलिपिः मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव/मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 03.05.2017
उप निदेशक

ज्ञापांकः 07 ग्रा०वि० यो०वि०, पटना, दिनांक 03/05/ 2017

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 03.05.2017
उप निदेशक

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक– 03.05.2017 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बिहार ग्रामीण पथ परियोजना के तहत मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत 26 Non-IAP जिलो (किशनगंज को छोड़कर जिसका चयन Hybrid Annuity Model अंतर्गत किया गया है) में 250 से अधिक की आबादी वाले अनजुड़े टोलों/बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु New Development Bank (BRICS) से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक सहमति के संबंध में लोक वित्त समिति **की बैठक की कार्यवाही:–**

पत्रांकः– 3199 **पटना, दिनांक–** 25.04.2017

1.	विषय एवं प्रस्ताव	" बिहार ग्रामीण पथ परियोजना के तहत मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत 26 Non-IAP जिलो (किशनगंज को छोड़कर जिसका चयन Hybrid Annuity Model अंतर्गत किया गया है) में 250 से अधिक की आबादी वाले अनजुड़े टोलों/बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु New Development Bank (BRICS) से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक सहमति के संबंध में।" 1. इन 26 जिलों यथा अररिया, बाँका, बेगुसराय, भागलपुर, आरा, बक्सर, छपरा (सारण), दरभंगा, पुर्वी चम्पारण, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूणियाँ, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सिवान, सुपौल एवं वैशाली के लिए NDB Mission Team के बिहार भ्रमण दिनांक 06.02.2017 से 15.02.2017 के दौरान ₹3300 करोड़ (500 million US$) की योजना, 4000 कि0मी0 ग्रामीण पथों को NDB(BRICS) बैंक से प्राप्त सहायता से, निर्माण कराने हेतु सहमति प्रदान की गयी है। इसमे से DEA, भारत सरकार एवं वित्त विभाग की सहमति के आलोक में 70% अर्थात 350 million US$ (₹2310 Crore) NDB (BRICS) बैंक ऋण अंश एवं 30% अर्थात 150million US$ (₹ 990 Crore) राज्यांश होगा।

		2. बिहार सरकार द्वारा NDB(BRICS) बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु बिहार सरकार तथा NDB(BRICS) बैंक के बीच एकरारनामा किया जाएगा, जिसके लिए राज्य मंत्रिपरिषद् की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। 3. संलेख एवं प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। 4. कंडिका–1 एवं 2 के प्रस्ताव पर लोक वित्त समिति की स्वीकृति प्रार्थित है। 5. कंडिका–1 एवं 2 के प्रस्ताव पर लोक वित्त समिति की स्वीकृति प्रार्थित है।
2.	संचिका संख्या–	BRRDA (HQ)-MMGSY(NDB)-66/2016
3.	बजट कोड, बजट शीर्ष/उप शीर्ष, पृष्ट संख्या एवं निधि की उपलब्धता–	इस पर वित्त विभाग कार्रवाई करेगा।
4.	समिति द्वारा निर्णय (अगर कोई हो तो)–	प्रस्ताव स्वीकृत।

3/5/17
सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

3/5/17
अपर ~~विशेष~~ सचिव
योजना एवं विकास विभाग

3/5
सचिव ससाधन
वित्त विभाग

विकास आयुक्त

चेक लिस्ट		
1.	विभाग का नाम	ग्रामीण कार्य विभाग
2.	योजना का नाम	**मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना NDB(BRICS) बैंक सम्पोषित।**
3.	योजना प्रक्षेत्र का नाम	**मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना NDB(BRICS) बैंक सम्पोषित।**
4.	बजट उपबंध–	वित्त विभाग कार्रवाई करेगा।
5.	बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम का प्रस्ताव हो तो उसका उल्लेख किया जाय	लागू नहीं।
6.	विभाग का कुल उद्व्यय	₹595431.00 लाख
7.	विभाग का पुनरीक्षित उद्व्यय	₹801431.00 लाख
8.	संबंधित प्रक्षेत्र का उद्व्यय	वित्त विभाग कार्रवाई करेगा।
9.	प्रस्तावित योजना के निर्धारित उद्व्यय	वित्त विभाग कार्रवाई करेगा।
10.	योजना पर कुल संभावित व्यय	**₹330000.00 लाख**
11.	योजना नई है/चालू योजना है (चालू योजना की स्थिति में लोक वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ लाने का विशेष कारण का उल्लेख करें)	योजना नई है। बिहार ग्रामीण पथ परियोजना के तहत मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत 26Non-IAP जिलो (किशनगंज को छोड़कर जिसका चयन Hybrid Annuity Model अंतर्गत किया गया है) में 250 से अधिक की आबादी वाले अनजुड़े टोलों/बसावटों को 'बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु New Development Bank (BRICS) सेवित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान करने हेतु।
12.	प्रस्ताव स्थापना से संबंधित है या गैर स्थापना (यदि दोनो घटक है तो उनकी अलग–अलग राशि)	यह स्थापना से संबंधित नहीं है।
13.	कार्य योजना (वर्क्स) की स्थिति में तकनीकी स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी का पदनाम एवं तिथि।	यह तकनीकी स्वीकृति से संबंधित नहीं है।

14.	कार्य योजना (निर्माण कार्य) की स्थिति में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है या नही ?	लागू नहीं।
15.	प्रस्ताववित योजना के लिए जमीन उपलब्ध है या नही ?	हॉ।
16.	योजना से संबंधित सभी वैधानिक अनुपालन हुआ है या नही ?	हाँ।
17.	संलेख से संबंधित प्रक्षेत्र में लोक वित्त समिति द्वारा अबतक राज्य योजना मद की अनुशंसित राशि।	शून्य।
18.	राज्य योजना/केन्द्र प्रायोजित योजना का राज्यांश/शत–प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना/वाह्य संपोषित योजना है। (केन्द्र प्रायोजित योजना की स्थिति में राज्यांश एवं केन्द्रांश का प्रतिशत स्पष्ट उल्लेख करें)	यह NDB(BRICS) बैंक सम्पोषित वाह्य योजना है। NDB(BRICS)बैंक एवं राज्यांष क्रमशः 70% एवं 30% है।
19.	विगत वर्ष की स्वीकृत राशि एवं उपलब्धि (स्थापना की स्थिति में विगत तीन वर्षो का व्यय।	लागू नहीं।
20.	संलेख का ज्ञापांक एवं दिनांक	संचिका संख्या–BRRDA (HQ)-MMGSY(NDB)-66/2016दिनांक – 3199/25.4.17

(विनय कुमार)
सरकार के सचिव

संचिका संख्या– BRRDA (HQ)-MMGSY(NDB)-66/2016

बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

लोक वित्त समिति के विचारार्थ संलेख

विषयः–बिहार ग्रामीण पथ परियोजना के तहत मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत **26** Non-IAP जिलो **(किशनगंज को छोड़कर जिसका चयन Hybrid Annuity Model अंतर्गत किया गया है)** में 250से अधिक की आबादी वाले अनजुड़े टोलों/बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने **हेतु New Development Bank (BRICS)** से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक सहमति के संबंध में।

1.	योजना का नाम	"मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना NDB (BRICS)बैंक सम्पोषित)"
2.	योजना का उद्देश्य	राज्य के 26 Non-IAP जिलों (किशनगंज को छोड़कर जिसका चयन Hybrid Annuity Model अंतर्गत किया गया है) यथा अररिया, बाँका, बेगुसराय, भागलपुर, आरा, बक्सर, छपरा(सारण), दरभंगा, पुर्वी चम्पारण, गोपालगंज, कटिहार,खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर,नालंदा, पटना,पूणियाँ, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सिवान, सुपौल एवं वैशाली में250 से अधिक आबादी वाले सभी अनजुड़े बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करना विभाग का लक्ष्य है ताकि राज्य में ग्रामीण जनता को कृषि उत्पादों के सही मूल्य के अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बाजार की अच्छी सुविधा प्राप्त हो सके। 2.1 मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के संकल्प की कंडिका–2-2 में योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार अपने बजट/भारत सरकार से प्राप्त राशि एवं वाह्य श्रोत से करने का प्रावधान है। संकल्प के सुसंगत कंडिका की प्रति **अनुसूची–1** पर है।

		2.2 वित्त विभाग द्वारा आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित मार्गदर्शिका के आलोक में कार्रवाई करने का परामर्श देते हुए NDB(BRICS) बैंक से अतिरिक्त राशि प्राप्त करने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी। 2.3 उक्त सैद्धांतिक सहमति के आलोक में 10000 कि0मी0 पथों के निर्माण हेतु कुल खर्च ₹ 8000 करोड़ अनुमानित लागत के विरूद्ध NDB(BRICS) बैंक से राशि ₹5600 करोड़ एवं राज्यांश ₹2400 करोड़ का प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया। 2.4 दिनांक–02.09.2015 को नॉर्थ बलॉक नई दिल्ली में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में संपन्न 52वें संविक्षा समिति (Screening Committee) की बैठक में ₹8000 करोड़ की योजना के प्रस्ताव पर विचार किया गया। इसके लिए NDB(BRICS) बैंक से ऋण के रूप में 70% राशि, अर्थात ₹5600 करोड़, उपलब्ध कराया जायेगा तथा शेष 30% राशि यथा ₹2400 करोड़ राज्य सरकार को अपने राज्य बजट से वहन करना होगा। इस बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि कुल 10000 कि0मी0 पथों (राशि ₹8000 करोड़) के लिए परियोजना का परिरूप (Project Design) अभी तैयार किया जाय। यह भी सहमति बनी कि योजना का आकार जितना भी हो, उसका 30% राशि राज्य सरकार के बजट से भारित किया जायेगा। आथिर्क कार्य विभाग, भारत सरकार के 52nd Screening Committee की बैठक की कार्यवाही **अनुसूची–2** पर है।

		2.5 दिनांक–02.02.2016 को मुख्य सचिव, बिहार सरकार द्वारा Debt Sustainability तथा 30% Counterpart Funding की सहमति प्रदान की गयी है। 2.6 इस योजना का कार्यान्वयन NDB(BRICS) बैंक की मार्गदर्शिका के अनुसार की जायेगी। निविदा की प्रक्रिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RRP-II) के लिए निर्धारित Model Bidding Document (MBD) के अनुसार की जायेगी। 2.7 NDB की वित्तीय सहायता के लिए 26 जिले क्रमशः अररिया, बाँका, बेगुसराय, भागलपुर, आरा, बक्सर, छपरा (सारण), दरभंगा, पुर्वी चम्पारण, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णियाँ, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सिवान, सुपौल एवं वैशाली का चयन किया गया। इन 26 जिलों में कुल 4920 पथों जिसकी अनुमानित लम्बाई 10000 कि0मी0 है, का निर्माण किया जायेगा। इस प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। 2.8 इन 26 जिलों के लिए NDB Mission Team के बिहार भ्रमण दिनांक 06.02.2017 से 15.02.2017 के दौरान ₹3300 करोड़ (500 million US$) की योजना, 4000 कि0मी0 ग्रामीण पथों को NDB(BRICS) बैंक से प्राप्त सहायता से निर्माण कराने हेतु सहमति प्रदान की गयी है। इसमे से DEA,भारत सरकार एवं वित्त विभाग की सहमति के आलोक में 70% अर्थात 350 million US$ (₹2310 Crore) NDB(BRICS) बैंक ऋण अंश एवं 30% अर्थात 150million US$ (₹990 Crore) राज्यांश होगा **(अनुसूची–3)**।

		2.9 बिहार सरकार द्वारा NDB(BRICS) बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु बिहार सरकार तथा NDB(BRICS) बैंक के बीच एकरारनामा किया जाएगा, जिसके लिए राज्य मंत्रिपरिषद् की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। 2.10. बिहार ग्रामीण पथ परियोजना के तहत मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत 26Non-IAP जिलो (किशनगंज को छोड़कर जिसका चयन Hybrid Annuity Model अंतर्गत किया गया) में 250 से अधिक की आबादी वाले अनजुड़े टोलों/बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु New Development Bank (BRICS) से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए मंत्रिपरिषद की सैद्धांतिक सहमति के पश्चात New Development Bank के साथ भारत सरकार द्वारा वित्तीय एकरारनामा तथा राज्य सरकार द्वारा परियोजना एकरारनामा (Project Agreement) किया जायेगा।
3.	योजना का भौतिक आकार एवं कार्यान्वयन की समय–सीमा	NDB(BRICS) बैंक की वित्तीय सहायता के लिए 26 Non-IAP जिलों (किशनगंज को छोड़कर जिसका चयन Hybrid Annuity Model अंतर्गत किया गया है) यथा अररिया, बाँका, बेगुसराय, भागलपुर, आरा, बक्सर, छपरा (सारण), दरभंगा, पुर्वी चम्पारण, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर,नालंदा, पटना, पूणियाँ, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सिवान, सुपौल एवं वैशाली में कुल लम्बाई 4000 कि0मी0 के ग्रामीण पथों की प्राथमिकता तय कर निर्माण किया जायेगा। इसके लिए पथों का चयन कर प्रखंड/जिला स्तर पर इसे संग्रह करते हुए ₹10 करोड़ का पैकेज तैयार कर निविदा प्रक्रिया अपनायी जाएगी। इसके लिए कुल 3300 करोड़ रूपये के लिए NDB(BRICS) बैंक द्वारा सहमति प्रदान की गयी है। इसमे से ₹2310 करोड़ NDB(BRICS) बैंक से ऋण सहायता प्राप्त होगी तथा शेष ₹990 करोड़ राज्य बजट से वहन करना होगा।
4.	योजना के लिए आवश्यक निधि के श्रोत, यथा राज्यांश/केन्द्रांश/शत–प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना/राज्य योजना/ वाह्य सम्पोषित योजना इत्यादि	यह वाह्य संपोषित NDB(BRICS) बैंक सहायता प्राप्त योजना है। इसमें NDB(BRICS) बैंक एवं राज्यांष क्रमशः **70%** एवं **30%** है।

5.	यदि चालू योजना है तो विगत तीन वर्षों की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि और यदि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तो उनका कारण तथा वर्तमान वर्ष में समाधान के उपायः–	लागू नहीं।
6.	यदि निर्माण कार्य सन्निहित हो तो प्राक्कलन एवं नक्शा की तकनीकी स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी का नाम, पदनाम प्राक्कलित राशि एवं तिथि –	लागू नहीं।
7.	यदि वाहन के क्रय या पदों के सृजन/उत्क्रमण का प्रस्ताव है तो पुराने वाहन के रद्दीकरण या उपलब्ध पदों के प्रत्यार्पित किये जाने की स्थिति :–	वाहन के क्रय या पदों के सृजन का प्रस्ताव नहीं है।
8.	यदि अनुदान की योजना है तब पूर्व में किये गये अनुदान की उपयोगिता एवं अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था की वैद्यिक स्थिति यथा निबंधित समिति अधिनियम के अन्तर्गत गठित, वार्षिक अंकेक्षण इत्यादि का उल्लेख किया जाये।	यह अनुदान की योजना नहीं है।
9.	स्थापना से संबंधित प्रस्ताव में पदों की संख्या– वर्तमान पदों का वेतनमान एवं उस होने वाले वार्षिक व्यय की विवरणी तथा गत तीन वर्षों में व्यय का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, साथ ही कुल स्वीकृत पदों के विरूद्ध भरे गये पद एवं उपलब्ध रिक्तियों की सूचना भी देनी है। यह प्रमाण पत्र भी अपेक्षित है कि नियुक्तियों विधिवत की गयी है एवं नियुक्तियों पद सृजन संबंधी आदेश संख्या– दिनांक– के अनुरूप है। स्थापना संबंधी सभी प्रस्ताव कंडिकावार एक साथ अंकित किया जाए। (निर्धारित विहित प्रपत्र में सूचना संलग्न किया जाय)	यह गैर स्थापना से संबंधित प्रस्ताव है।
10.	शत प्रतिशत भारत सरकार से सहायता प्राप्त या ऐसी योजनाएं जिनमें भारत सरकार से प्राप्त राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना आवश्यक है, के मामलें में विभाग यह प्रमाण पत्र भी देगा कि पूर्व में प्राप्त राशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेजा गया हैः–	लागू नहीं।
11.	योजना के संबंध में निर्धारित दिशा निर्देश के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी।	कंडिका–2.1 में उल्लेखित है।
12.	कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो योजना से संबंधित एवं सुसंगत हो (केन्द्र प्रायोजित योजना, बाह्य संपोषित योजना की स्थिति में केन्द्र सरकार या बाह्य	यह वाह्य संपोषित NDB(BRICS) बैंक सहायता प्राप्त योजना है। स्वीकृत्यादेश की प्रति **अनुसूची–2** संलग्न है।

	एजेन्सी द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश/राशि विमुक्ति/पुनवविधिकरण संबंधी पत्र आदि की प्रतिलिपियॉ) शत् प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना की स्थिति में राशि की प्राप्ति का भी ब्यौरा दिया जाय।	
13.	यदि इस योजना के संबंध में विगत वर्षों में लोक वित्त समिति में कुछ निर्णय लिया गया हो तो उसे उल्लेख करें तथा निर्णय की प्रति संलग्न करें। साथ ही निर्णयों का अनुपालन हुआ कि नहीं, उसे भी उल्लेख करें।	लागू नहीं।
14.	बजट शीर्ष और बजट की उपलब्धता।	वित्त विभाग कार्रवाई करेगा।
15.	स्वीकृति हेतु प्रस्तावः–	इन 26 जिलों के लिए NDB Mission Team के बिहार भ्रमण दिनांक 06.02.2017 से 15.02.2017 के दौरान ₹3300 करोड़ (500M US$) की योजना, 4000 कि0मी0 ग्रामीण पथों को NDB(BRICS) बैंक से प्राप्त सहायता से निर्माण कराने हेतु सहमति प्रदान की गयी है। इसमे से DEA, भारत सरकार एवं वित्त विभाग की सहमति के आलोक में 70% अर्थात 350 million US$ (₹2310 Crore) NDB ऋण अंश एवं 30% अर्थात 150 million US$ (₹ 990 Crore) राज्यांश होगा। इस पर लोक वित्त समिति की सैद्धांतिक सहमति प्रार्थित है। कंडिका– 2.8 एवं 2.9 के प्रस्ताव पर लोक वित्त समिति की स्वीकृति प्रार्थित है।
16.	विभागीय मंत्री का अनुमोदन	संलेख एवं प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

25/4/17
(विनय कुमार)
सचिव

ज्ञापांकः–BRRDA (HQ)-MMGSY(NDB)-66/2016 -3199 दिनांकः– 25.04.2017

प्रतिलिपिः– दस अतिरिक्त प्रतियों के साथ योजना एंव विकास विभाग को लोक वित्त समिति की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रेषित।

25/4/17
(विनय कुमार)
सचिव